शिक्षक के कर्तव्य

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग में 07 घंटें रूकना आवश्यक होगा |

1. कक्षा का समय : प्रातः 11.30 से शाम 05.30 बजे तक

2. 7 घंटें का ब्रेकअप : 6 घंटे अध्ययन – अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्युटोरियल, रेमेडियल,

रेमेडियल, शोध – कार्य, लाइब्रेरी कार्य सम्मिलित)

1 घंटा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रीयेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य,

पाठयक्रम पुनरावलोकन में शिक्षक एक घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर

विद्यार्थियों की शंका का समाधान करेंगे |

भाग – 2

स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्ष का सिद्धांत

1. प्रयुक्ति : -

1.1 यह मार्गदर्शक सिध्दांत छ.ग.के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाथित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका सुनिश्चित करेंगे |

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा | प्रवेश से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष / पूर्व में प्रवेश से है |

2. प्रवेश की तिथि : -

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना – महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जावेंगे | विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी | बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन जमा किये जावे |

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना – स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे | परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने कीई स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो पहले ही, मानी होगी | कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जावेगा |

स्पष्टीकरण : - आवेदक 'क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था | उसके बाद उसके पालक का स्थानान्तरण स्थान (ब) में हो गया | इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जावेगा | आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहां इसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया | किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानान्तरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है | अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आबेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता |

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, सम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी | किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा |

2.4 पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि -

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी | अन्य कक्षाओं में 30 जुलाई तक प्राचार्य तथा 14 अगस्त

तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन, जो भी पहले हो मानी होगी |

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व दी परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बध्द विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्ही विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे |

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है |

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता : -

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा |

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी|

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी – केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी |

8.3 विधि स्नातक की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी |

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी |

8.5 पूरक परीक्षा में अनुतीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा | उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा |

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी भी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित बना होने / अध्ययन छोड़ देने / अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी | यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित

प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा |उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण – पत्र तथा शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो की पूर्व में उसने अन्य कहीं प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा |

9.2 जिनके विरूध्द न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारीयों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने का गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र – छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है |

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है | प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाएं एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे | ऐसे छात्र – छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे |

9.4 (क) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोतर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी | आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में दी जायेगी | किन्तु आयु सीमा के बंधन में छात्राओं को तीन वर्ष की छूट रहेगी |

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मुख्यालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भर्ग सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित प्रत्याशियों, विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए वेदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा |

(ग) विधि संकाय के त्रिवर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा |

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी |

(ड) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति : पिछड़े वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी |

9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसके दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी | दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा |

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को विधि संकाय छोड़कर अन्य संकायों में स्नातक पाठयक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी |

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण : -

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा |

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बध्द विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगी |

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग – अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी |

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता : -

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा |

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार होगा |

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशन एग्रीगेट प्राप्त करने वे छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा |

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील/ जिला में स्थित या उसके आस-पास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुये उस विषय / समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुये प्रवेश दिया जावे | आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा |

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा | किसी भी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा |

आरक्षण : -

छ.ग. शासन आरक्षण नीति के अनुरूप नियमानुसार होगा :-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.आ.) एवं अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः १२% तथा ३२% स्थान आरक्षित होंगे | इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे | प्रवेश की अंतिम तिथि पर पांच बजे के बाद अ.जा. / अ.ज.जा. हेतु आरक्षित रिक्त सीटों को सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से भारी जावेगी | इस हेतु प्राचार्य एक पांच सदस्यीय समिती गठित करेंगे, जिसमे एक जनभागीदारी समिति के सदस्य रहेंगे | समिति अ.जा. अव अ.ज.जा. की रिक्त सीटों को सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से गुणानुक्रम में भरकर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे |

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे |

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र – पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए सयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे | विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा |

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे |

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट आरक्षित श्रेणी में भारी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भारी जावेगी |

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत ½ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा | ½ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी |

12.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र / छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे |

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये |

13. अधिभार : -

अधिक अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा | पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नहीं किया जाये | अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा | अधिभार हेतु समस्त प्रमाण – पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है | आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने वाले / जमा किये जाने वाले प्रमाण – पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा | एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा |

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउटस –

स्काउटस शव्द को स्काउटस / गाइड्स / रेंजर्स / सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे |

(क) एन.एस.एस. / एन.एस.सी. “ए” सर्टिफिकेट - 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. “बी” सर्टिफिकेट - 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस

(ग) “सी” सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस - 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता - 04 प्रतिशत

में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

(ङ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी. / - 05 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी. /

एन.एस.एस. कंटीजेंस में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को

(छ) राज्यपाल स्काउटस - 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउटस - 10 प्रतिशत

(झ) छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट - 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट - 15 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले

कैडेट को / अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को

13.2 आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में - 10 प्रतिशत

उसी विषय में प्रवेश लेने पर

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.ए.बी.प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर - 05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज रूपांकन प्रतियोगिताएँ –

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू.द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भाराग सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्विद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस अथवा अल्च्रल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत – 10 प्रतिशत

विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक, कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रास करने वाले दल के सदस्यों को

13.6 छ.ग. शासन / म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

(क) छ.ग. / म. प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

13.7 जम्मू – कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन –

छ.ग. राज्य महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ट कैडेट्स तथा ओलंपियाड / एशियाड / स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, जिनकी उन्हें पात्रता है |

बशर्ते कि : -

इस प्रकार के प्रमाण – पत्रों के संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं यह सुविधा केवल उन्हें अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है | परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा | प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण – पत्र / स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण – पत्र अधिभार हेतु मानी किये जायेंगे | स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण – पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे |

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन : -

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुनानुक्रमांक निर्धारित किया जायेगा | अधिभार घटे हुये प्राप्तांको पर देये होगा | महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2,2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जाएगी | यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी, जिनके प्राप्तांक सम्बंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों |

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा | पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि 4 वर्ष कर सकेंगे | छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे | प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मानी किया जावेगा | शोध छात्र के लिये सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मानी प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य करेंगे | अध्ययन अवकाश लेकर यदि शिक्षक शोध छात्र के रूप में कार्यरत, है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र पर प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेता आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा | महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र उसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं, जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था | शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध छात्र का शोध प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे |

16. विशेष : -

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाए गए प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा |

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा |

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा |

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जावेगा |

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिधान्तो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है | इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में समय – समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न करने का पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, चचक शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा |

संचालक

उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़

रायपुर (छ.ग.)

(ख)विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

सामान्य नियम : -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा | इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा |

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा | किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होने चाहिये |

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा | साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा |

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा | अभद्र व्यव्हार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली – गलौच, मारपीट, किसी भी प्रकार के शास्त्र या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा |

4. प्रयेक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा |

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है यह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वहन करेगा |

6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा |

7. महाविद्यालय में इधर – उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी (अश्लील) बातें लिखना सख्त मना है | विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाबेगी |

8. वह अपनी मान्तों का प्रदर्शन आन्दोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा | विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीती से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा |

9. महाविद्यालय में मोबाईल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा |

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी. / एन.एस.एस में भी लागू होगी | अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी |

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पुर्वक करेगा | उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ़ – सुथरा रखेगा |

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा | उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा |

4. अध्ययन से सम्बंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा |

5. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में स्थित पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़ – फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा |

परीक्षा संबंधी नियम : -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है |

2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा |

3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा |

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र : -

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा |

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक की कारावास की सजा या पांच हजार रुपया जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है |

3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम महाविद्यालय पंजी से काट दिया जायेगा |

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना-पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा |

5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र पर उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा – पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे |

(ग) उपस्थिति संबंधी विश्विद्यालय के नियम : -

मध्यप्रदेश विश्विद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय के) छात्र / छात्रा को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है | इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा |

(घ) विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान : -

मध्यप्रदेश विश्विद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/ छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र / छात्रा के

विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है | अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड प्रावधान है : -

1. निलंबन |

2. निष्कासन |

3. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना |

4. रेस्टीकेशन |

(छ) प्रवेश लेने की विधि : -

सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए इच्छुक हो या वे उत्तरं होकर आगामी कक्षा में प्रवेश चाहता / चाहती हों, इस विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से पढ़कर कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे किन्ही परिस्थतियों में यदि इस तिथि में वृध्दि की गई तो उस आशय की सूचना, महाविद्यालय के सूचना फलक पर लगा दी जावेगी | छात्राओं आवेदन पत्र भरेंगे तथा आवश्यक प्रमाण – पत्र संलग्न कर महाविद्यालय कार्यालय में अधिकृत व्यक्ति के पास प्रस्तुत करेंगे निर्धारित तिथि पर छात्र / छात्राओं को साक्षात्कार हेतु प्रवेश समिति के सदस्यों के समक्ष मूल प्रमाण – पत्रों सहित उपस्थित होगा इसी छात्र / छात्राए साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होंगे, उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा | जिन छात्रों को प्रवेश के योग्य समक्ष उनके नाम सूचना फलक पर प्रकाशित होंगे | तब वे शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे |

आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक छात्र को निम्न प्रमाण – पत्र आदि संलग्न करना चाहिये :-

1. जहां कोई विद्यार्थी पिछले सत्र में पढता था, वहां मूल स्थानान्तरण प्रमाण – पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति |

2. पिछली परीक्षाओं की अंकसूची की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (10 वी, 12 वी) |

3. प्रवासी सर्टिफिकेट (अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से आने वाले आवेदक के लिये) |

4. प्रार्थी अगर पेशे में हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुमति पत्र / प्रमाण – पत्र |

5. यदि पिचली परीक्षा स्वाध्यायी परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की हो तो राजपत्रित अधिकारी से ताजा चरित्र प्रमाण – पत्र |

6. शिक्षा शुल्क में छूट चाहने वालों के लिये सम्बंधित प्रमाण – पत्र | (जाति आदि अन्य)

7. अधिभार पाने हेतु उपयुक्त प्रमाण – पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेलकूद)

8. पात्रता प्रमाण-पत्र गुरु घासीदास विश्विद्यालय द्वारा जारी (अन्य विश्विद्यालय या बोर्ड से आने वाले आवेदक के लिये)

नोट : -

1. छात्र / छात्राए अलग-अलग विषय समूह के लिये अलग-अलग आवेदन करेंगे |

2. अपूर्ण अथवा वंचित प्रमाण-पत्रों से रहित तथा अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों पर विधार नहीं किया जावेगा |

3. प्रत्येक छात्र स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण करेगा तथा अपना शुल्क भी स्वयं जमा करेगा | प्रत्येक से केवल उसी का शुल्क स्वीकार किया जवेगा |

4. प्रवेश संबंधी सभी सूचनाये छात्र स्वयं सूचना फलक पर देखें |

5. अस्थायी प्रवेश विशेष परिस्थिति में दिया जावेगा, परन्तु निर्धारित अवधि तक प्रवेश को स्थायी करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र का होगा | अन्यथा प्रवेश अपने आप निरस्त हो जायेगा |

6. प्रत्येक विद्यार्थी को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अपना नामिनेशन कराना आवश्यक है | और जो विद्यार्थी नहीं करा सकेंगे, चाहे कुछ भी कारण क्यों न हो, उनको विश्विद्यालयीं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके द्वारा प्रदत्त महाविद्यालय का कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा | महाविद्यालय इस प्रकार की किसी असावधानी के लिये उत्तरदायी नहीं होगा | जब तक छात्र को नामांकन क्रमांक प्राप्त नहीं हो जाता, प्रवेश अस्थायी माना जावेगा |

7. प्राचार्य को यह अधिकार की वह बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने के लिये मना कर दें | इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक़ किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा |

8. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना नाम, अपने विषय, कक्षा, पुस्तकालय, एन.सी.सी. यूनिट एवं खेलकूद के रजिस्टरों में लिखवाने के लिये प्रवेश प्राप्ति के बाढ़ सम्बंधित अधिकारी को अपने प्रवेश पत्र दिखाना होगा, तभी उसका नाम सम्बंधित रजिस्टरों में अंकित किया जावेगा |